

फाइल सं. ए.12018/68/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय


(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा, में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञ.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।

manojkumar.upadhyay29@gov.in



(मनोज कुमार उपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 8/11/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022.

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1985 का, जहां तक प्रयोगशाला सहायक पद का संबंध है उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहंता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अहताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विद्।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसंचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच* *अखिल भारतीय ओपन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा 18 और 27 वर्ष होगी। जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति	अनिवार्यः 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण 2.किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक साल के अनुभव सहित मेडीकल लैबोरेटरी में डिप्लोमा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	100% सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्ति

केन्द्रीय सरकार की
ऐसे अधिकारियों
द्वारा प्रतिनियुक्ति
पर भरी जाएगी
जो:-

(क) नियमित
आधार पर सदृश्य
पद धारण किए हुए
हैं और;

(ख) स्तंभ (7) के
नीचे सीधी भर्ती
किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए
निहित अहताएं
रखते हैं।

और अनुसूचित जनजाति के
अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालिस
वर्ष की आयु तक शिथिल की जा
सकती है।)

टिप्पण 1: आयु-सीमा का निर्धारण
की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन
प्राप्त करने के लिए नियत की गई
अंतिम तारीख होगी न कि वह
तारीख जो असम, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और
स्पीति ज़िले तथा चम्बा ज़िले के
पांगी उपखंड, लद्दाख, अदम्मान और
निकोबार द्वीप और लक्ष्मीप संघ राज्य
क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित
की गई है।

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के
माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों
की दशा में आयु सीमा अवधारित
करने के लिए निर्णायक तारीख वह
अंतिम तारीख होगी जिस तक
रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के
लिए कहा गया है।

वांछनीय:

मेडीकल लैबोरेटरी साइंस में
बेचलर डिग्री।

टिप्पण 1: अहताओं में उच्च
अहताएं प्राप्त उम्मीदवारों के
मामले में सक्षम प्राधिकारी
के दिशानिर्देशों पर छूट दी
जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी
अहता (अहताएं) सक्षम
प्राधिकारी के विवेकानुसार
अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के
अभ्यर्थियों की दशा में तब
शिथिल की जा सकती है
जब चयन के किसी प्रक्रम
पर सक्षम प्राधिकारी की यह
राय है कि उनके लिए
आरक्षित रिक्तियों को भरने
के लिए अपेक्षित अनुभव
रखने वाले उन समुदायों के
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या
में उपलब्ध होने की
सम्भावना नहीं है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11) लागू नहीं होता।	<p>(12)</p> <p>विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर - अध्यक्ष 2. सीनियर मेडिकल ऑफीसर क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर - सदस्य 3. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर - सदस्य। 	(13) लागू नहीं होता।

फा.सं. ए.12018/68/2019-कुष्ठ

मनोज कुमार उपाध्याय
अवर सचिव, भारत सरकार